102 II/निग०/रीवा/2018/0521

सदस्य राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा (म०

न्यायालय श्रीमान

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — 20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1- रामशिरोमणि कुशवाहा पिता श्री रामबहोर कुशवाहा उम्र - 55 साल

पेशा- खेती ,

2-रामाधार कुशवाहा पिता स्व० रामबहोर कुशवाहा उम्र - 35 साल,पे

खेती , दोनों निवासी - ग्राम - भीर थाना व तह० नईगढ़ी जिला रीवा

म०प्र० ----- आवेदक / निगरानी

बनाम
=====

1- शिवानंद कुशवाहा पिता मणिराज कुशवाहा उम्र 30 साल,

2- जगदीश कुशवाहा पिता लुटुर कुशवाहा उम्र - 60 साल, पेशा-खेती,

3- राजमणि कुशवाहा पिता लुटुर कुशवाहा उम्र -70 साल, पेशा-खेती

तीनों निवासी - ग्राम भीर तह० नईगढ़ी जिला रीवाम०प्र०,

----- अना०/गैरनिगरानीक

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसी
वृत्त रामपुर तह० नईगढ़ी जिला रीवा
के रा०प्र०क्र.- 26 /अ 6 अ / 15-16
दिनांक 28-11-2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू
संहिता 1959ई. ।

अधि०श्री सरोज
कुशवाहा द्वारा
पेश / 12-1-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानीके तथ्य :-

यह कि निगरानीकर्ता /आवेदक गण द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्र. -26/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क0 दो–निग0/रीवा/भू.रा./2018/521

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा के प्रकरण कमांक 22 अ–6–अ/15–16 में पारित आदेश दिनांक 28–11–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक व्दारा तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 26 अ–6–अ/15–15 में पारित आदेश दिनांक 30–6–16 के कम में नायव तहसीलदार के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 30–6–16 में सॅशोधन किये जाने की मांग की गई , जो नायव तहसीलदार वृत्त रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 22 अ–6–अ/15–16 में पारित आदेश दिनांक 28–11–17 मांग को अस्वीकार करते हुये प्रकरण निरस्त कर दिया है। नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 30–6–16 तथा आदेश दिनांक 28–11–17 दोनों ही आदेश अपील योग्य हैं जो अंतिम प्रकृति के है जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल में सीधे निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम	

परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। फलस्वरूप नायव तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य